



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-218

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 275521 दिनांक 01/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Rekha Bai Meena W/o Raj Kumar Meena	श्रीमती शैफाली रविन्द्र पुत्र श्री रविन्द्र गर्ग	97	216.66 SQ. YARD	Private	SHIV NAGAR -II Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी योजना शिव नगर-द्वितीय, रामनगरिया के भूखण्ड सख्या 97 क्षेत्रफल 216.66 व.ग. की लीज डीड दिनांक 03.07.2012 को श्रीमती शैफाली रविन्द्र पुत्र श्री रविन्द्र गर्ग के पक्ष में जारी की गई है। श्रीमती शैफाली रविन्द्र द्वारा श्री सुभाष अग्रवाल पुत्र श्री सी.एल.अग्रवाल द्वारा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2022 के द्वारा बेचान किया गया है। श्री सुभाष अग्रवाल द्वारा श्रीमती रामपति पत्नी श्री नरसी लाल मीणा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2024 के द्वारा बेचान किया गया है। श्रीमती रामपति द्वारा श्रीमती रेखा बाई पत्नी श्री राजकुमार मीणा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2024 के द्वारा बेचान किया गया है।
---	--	---	----	--------------------	---------	------------------------------------	------------------	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rekha Bai Meena W/o Raj Kumar Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |